

## हरियाणा सरकार

नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग

## अधिसूचना

दिनांक 1 जून 2010

संख्या सी० सी० पी०(एन० सी० आर०)/जे०एन०डी०/ए०सी०ए०-IV/2010/2152.—चूंकि, सरकार की राय में नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट तथा उससे संलग्न योजना में दर्शाए गये क्षेत्र, भवन गतिविधियों तथा अनियमित विकास के लिए संभाव्य है।

इसलिए, अब, पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41), की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, उक्त क्षेत्रों को, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए नियंत्रित क्षेत्र के रूप में घोषित करते हैं, अर्थात् :-

## अनुसूची

जीन्द शहर के ईर्द-गिर्द अतिरिक्त नियंत्रित क्षेत्र-IV के सीमाओं की अनुसूची को ड्राईंग संख्या डी० टी० पी० (जे०) 1166/07, दिनांक 27 जुलाई, 2007 के साथ पढ़ा जाए।

उत्तर : बिन्दु 'ए' से प्रारम्भ करते हुए जो कि गांव निर्झन (हदबस्त संख्या-75) की आयत संख्या 16 का उत्तर-पश्चिम कोना है, तत्पश्चात् पूर्व की ओर गांव निर्झन (हदबस्त संख्या-75) की उत्तरी राजस्व सीमा के साथ-साथ बिन्दु 'बी' तक जो कि गांव निर्झन (हदबस्त संख्या-75) की आयत संख्या 10 का उत्तर-पूर्व कोना है।

पूर्व : तत्पश्चात् बिन्दु 'बी' से होते हुए दक्षिण की ओर गांव निर्झन (हदबस्त संख्या-75), गांव पिंडारी (हदबस्त संख्या-72) तथा गांव असराफ गढ़ (हदबस्त संख्या-71) के गांवों की पूर्वी राजस्व सीमाओं के साथ-साथ बिन्दु 'सी' तक जो कि गांव असराफ गढ़ (हदबस्त संख्या-71) की आयत संख्या 66 का दक्षिण-पश्चिम कोना है।

दक्षिण : तत्पश्चात् बिन्दु 'सी' से होते हुए पश्चिम की ओर गांव असराफ गढ़ (हदबस्त संख्या-71) की दक्षिणी राजस्व सीमाओं के साथ-साथ बिन्दु 'डी' तक जो कि गांव असराफ गढ़ (हदबस्त संख्या-71) की आयत संख्या 60 का दक्षिण-पश्चिमी कोना है।

पश्चिम : तत्पश्चात् बिन्दु 'डी' से होते हुए उत्तर की ओर गांव असराफ गढ़ (हदबस्त संख्या-71), गांव पिंडारी (हदबस्त संख्या-72) तथा गांव निर्झन (हदबस्त संख्या-75) के गांवों की पश्चिमी राजस्व सीमाओं के साथ-साथ बिन्दु 'ए' तक जो कि प्रारम्भिक बिन्दु है।

डी० एस० डेसी,

वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,

नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।



## HARYANA GOVERNMENT

## TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

## Notification

The 1st June, 2010

No. C C P (NCR) / JND/ ACA-IV/ 2010 / 2152.—Whereas, in the opinion of the Government the area specified in the Schedule given below and shown in the plan appended hereto has the potential for building activities and haphazard development.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 4 of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act 41 of 1963), the Governor of Haryana, hereby declares the said area to be a controlled area for the purposes of the said Act, namely :—

## Schedule

Schedule of boundaries of additional controlled area-IV around town Jind to be read with Drawing No. D. T. P. (J) 1166/07, dated the 27th July, 2007

- North :** Starting from point 'A' i. e. the north-west corner of rectangle number 16 of village Nirjan (Hadbast Number 75), thence towards east along the northern village revenue boundary of village Nirjan (Hadbast Number 75) upto point 'B' i. e. north-east corner of rectangle number 10 of village Nirjan (Hadbast Number 75).
- East :** Thence moving from point 'B' towards south along the eastern village revenue boundaries of village Nirjan (Hadbast Number 75) village Pindari (Hadbast Number 72) and village Ashraf Garh (Hadbast Number 71) upto point 'C' i. e. south-west corner of rectangle number 66 of village Ashraf Garh (Hadbast Number 71).
- South :** Thence moving from point 'C' towards west along the southern village revenue boundary of village Ashraf Garh (Hadbast Number 71) upto point 'D' i. e. south-west corner of rectangle number 60 of village Ashraf Garh (Hadbast Number 71).
- West :** Thence moving from point 'D' towards north along the western village revenue boundaries of village Ashraf Garh (Hadbast Number 71), village Pindari (Hadbast No. 72) and village Nirjan (Hadbast No. 75) upto point 'A' i. e. point of start.

D. S. DHESI,

Financial Commissioner and Principal Secretary  
to Government, Haryana, Town and Country Planning Department.